मूल वाद में अन्तिम डिक्री

न्यायालय उपखण्ड़ अधिकारी निम्बाहेड़ा

पीठासीन अधिकारीः– चन्द्रशेखर भण्डारी , RAS

प्रकरण सं. 296/2009 वाद
GCMS NO.- 2016/00503

1. प्रभूडी बेवा नन्दा भील, आयु 55 साल निवासी लूणखन्दा तह0 निम्बाहेड़ा।
2. किशनलाल पिता नन्दा भील, आयु 25 साल, निवासी लूणखन्दा ।
3. जीवराज पिता नन्दा भील, आयु 16 साल नाबालिग जरिये वली सरपरस्त माता खुद प्रभूडी बेवा नन्दा भील, निवासी लूणखन्दा तहसील निम्बाहेड़ा।
4. कन्हैयालाल पिता नन्दा भील, आयु 13 साल नाबालिग वली जरिये सरपरस्त माता प्रभूडी बेवा नन्दा भील, निवासी लूणखन्दा तह0 निम्बाहेड़ा।

– वादीगण

//बनाम//

1. रामी पुत्री चुनिया भील, निवासी लूणखन्दा, तहसील निम्बाहेड़ा।
2. बाबुलाल पिता प्यारा भील, निवासी भुवानियाखेड़ी तह0 निम्बाहेड़ा।
3. घीसालाल पिता प्यारा भील, निवासी भुवानियाखेड़ी तह0 निम्बाहेड़ा।
4. दाखी बेवा प्यारा भील, निवासी भुवानियाखेड़ी तह0 निम्बाहेड़ा।
5. चतरी पुत्री प्यारा भील, निवासी भुवानियाखेड़ी तह0 निम्बाहेड़ा।
6. धापू पुत्री प्यारा भील, निवासी भुवानियाखेड़ी तह0 निम्बाहेड़ा।
7. गंगा पुत्री प्यारा भील, निवासी भुवानियाखेड़ी तह0 निम्बाहेड़ा।
8. रामी पुत्री प्यारा भील, निवासी भुवानियाखेड़ी तह0 निम्बाहेड़ा।
9. बन्शी पिता दल्ला भील, निवासी लूणखन्दा तह0 निम्बाहेड़ा।
10. जगन्नाथ पिता दल्ला भील, निवासी लूणखन्दा तह0 निम्बाहेड़ा।
11. खेमराज पिता चुन्नीलाल मीणा, निवासी गरदाना तह0 भदेसर।

– प्रतिवादीगण

दावा

अन्तर्गत धारा 88,209 रा.का.अधि.

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

प्रकरण में आज दिनांक को वादीगण की और से अधिवक्ता श्री राधेश्याम धाकड़ तथा प्रतिवादी संख्या 11 की ओर से अधिवक्ता श्री रामचन्द्र धाकड़ की उपस्थिति में प्रकरण में दिनांक 02.12.2019 जारी प्राथमिक डिक्री में विवादित भू[illegible] की खाता संख्या 174 की आराजी नं. 25/2, 26, 27 [illegible] 3 कुल रकबा 6 बीघा 14 बिस्बा में से रामी पिता [illegible] की तथा [illegible]रा पिता पन्नालाल भील के वारिसान के नाम दर्ज हिस्सा [illegible] के कुलि[illegible] रकबे में से 1/2 हिस्सा वादीगण की खातेदारी [illegible] घोषित किया [illegible]। प्रतिवादी संख्या 1से 8 का नाम उक्त तीनों आराजीयात से विलोपित किया

Signature Not Verified
Digitally signed by Chandra Shekhar Bhandari
Date: 2021.03.17 17:34:31 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
निम्बाहेड़ा (राज.)

जावे। तथा वादीगण के नाम खातेदारी दर्ज की जावे। इसी प्रकार प्रतिवादी संख्या 11 का काउण्टर क्लेम प्राथमिक डिक्री किया गया तथा तहसीदार निम्बाहेड़ा को 500 रूपये फीस पर कमिश्नर नियुक्त कर आदेश दिये गये थे कि विवादित भूमि वाके मौजा लुणखन्दा की खाता संख्या 174 की आराजी नं. 25/2, 26, 27 कुल कीता 3 कुल रकबा 6 बीघा 14 बिस्बा में खेमराज का खरीदशुदा व रेकार्ड में दर्ज 1/6 हिस्से का बंटवारा बाई मिट्स एण्ड बाउण्डस वादीगण एवं प्रतिवादीगण मे मध्य उनके दर्ज हिस्से व मौके पर कब्जे के आधार पर करते हुए खेमराज का हिस्सा अलग खातेदारी में दर्ज करते हुए फर्द विभाजन प्रस्ताव प्रस्तुत करें। तहसीलदार निम्बाहेड़ा ने अपने पत्र क्रमांक/टीआरए/20/157 दिनांक 07.09.2020 के माध्यम से फर्द विभाजन प्रस्ताव प्रस्तुत किया है जो माफिक आदेशानुसार है।

अतः वाद वादीगण कतई डिक्री किया जाता है । विवादित भूमि मौजा लुणखन्दा की प्रशनगात आराजीयात का बंटवारा फरिकेन के मध्य निम्नानुसार किया जाता हैः-

1- श्री किशनलाल जीवराज कन्हैयालाल पिता नन्दा मु0 प्रभुडीबाई पत्नी स्व0 नन्दा भील सा0 देह के रहेगी-

आराजी नं.	रकबा हैक्टेयर	लगान रूपये में
34	0.70 चाही 3	13.30
35	0.07 चाही 3	1.33
36	0.08 वी. 3	0.16
कुल कीता- 3	कुल रकबा 0.85	14.79

2- श्री खेमराज पिता चुन्नीलाल मीणा सा. गरदाना तह0 भदेसर के रहेगी- रहन भारतीय स्टेट बैंक कृषि वि.शाखा निम्बाहेड़ा

आराजी नं.	रकबा हैक्टेयर	लगान रूपये में
35	0.58 चाही 3	11.02
36	0.02 वी. 3	0.04
कुल कीता- 2	कुल रकबा 0.60	11.06

उपर्युक्तानुसार एवं संलग्न नक्शा ट्रेस अनुसार राजस्व रेकार्ड में अमल दरामद किया जावे। बैंक रहन सम्बन्धित खातेदार के हिस्से पर अंकित किया जावे। खर्चा फरिकेन अपना अपना वहन करें।

यह आज तारीख 19.01.2021 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा लगाकर दी गई।

Signature Not Verified

Digitally signed by Chandra Shekhar Bhandari
Date: 2021.03.17 17:34:31 IST
Reason: SelfAttested

(चन्द्रशेखर भण्डारी)
उपखण्ड अधिकारी,
निम्बाहेड़ा

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official